

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल: seiaacg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 05/02/2020 को संपन्न 310वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—000—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की 310वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 05/02/2020 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द शुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एन.डब्ल्यू.घायल, खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार खैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री भोसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: दिनांक 04/02/2020 को संपन्न 309वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020 को संपन्न हुई। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री उदय कुमार शर्मा (जजगा सेण्ड माईन, ग्राम-जजगा, तहसील-उदयपुर, जिला-सरगुजा), परसागुडी, राजपुर, जिला-बलरामपुर -रामानुजगंज (सचिवालय का नसरी क्रमांक 1072)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 132719/2019, दिनांक 20/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-जजगा, तहसील-उदयपुर, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 1458, कुल लीज क्षेत्रफल 4.79 हेक्टेयर प्रस्तावित है। उत्खनन रेंड (रेडर) नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-81,430 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरांगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उदय कुमार शर्मा, प्रोपराइटर एवं श्री बी.के. चन्दाकर, उप संचालक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जजगा का दिनांक 02/10/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित/सीमांकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना — माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2193/खनिज/ख.लि.3/उत्खनन यो./2019 अम्बिकापुर, दिनांक 03/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2198/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 03/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2196/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 03/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बरसाती नाला 100 मीटर एवं कैनल (नहर) 415 मीटर की दूर पर है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2108/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 22/11/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवासीय ग्राम-जजगा 0.39 कि.मी., स्कूल जजगा 0.6 कि.मी., अस्पताल 4.1 कि.मी. एवं धार्मिक स्थल 0.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.93 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 28.3 कि.मी. दूर है। निकटतम पुल 1.3 कि.मी. की दूरी पर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र —परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
10. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी — आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई — लगभग 200 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई — 54.35 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी

तट पूर्वी किनारे से न्यूनतम दूरी शून्य तथा पश्चिमी किनारे से दूरी 106 मीटर है।

11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 81,430 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 4 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत जजगा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 1456, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर क्षमता-50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27/11/2015 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। ग्राह अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- उपस्थित उप संचालक, खनिज प्रशासन द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति उपरोक्त उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
- बुझारोपण नहीं किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 17/11/2019 को रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि स्वीकृत रेत खदान की नदी तट से दूरी, नदी घाट के चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत क्षेत्र (20 मीटर) छोड़े जाने के लिए लीज क्षेत्र में 2,100 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। एल.ओ. आई. अनुसार खदान क्षेत्र 5 हेक्टेयर तथा आवेदक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र कम कर, उत्खनन का प्रस्ताव दिया गया है अतः रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 4.79 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समझ विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation

			(in Lakh)	
Rs. 33.35	2%	Rs. 0.67	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Jaig	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 1.82
			Plantation work	Rs. 0.10
			Total	Rs. 1.92

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। रेंड नदी छोटी नदी है तथा इसने वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।
17. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (घाम-जजगा) का रकबा 4.79 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे - 1,000 नग अलुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। पहुँच मार्ग में 500 नग पौधों लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाधित रही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनःभरण की स्थिति को अंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं तथा लीज के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन भी लिए जाएंगे। इसके अलावा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन भी किया जाएगा। के इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से श्री उदय कुमार शर्मा, जजगा सैण्ड नाईन को खसरा क्रमांक 1486, ग्राम-जजगा, तहसील-उदयपुर, जिला-सरगुजा, कुल लीज क्षेत्र 4.79 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 47,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई भूमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। स्विच वेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (बदुराबहार ऑर्डनरी स्टोन टेम्पररी परमिट स्वारी(1)), ग्राम-बदुराबहार, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1071)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 132301/2019, दिनांक 20/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (मीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बदुराबहार, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 999/2, 999/4, 1030/5, कुल क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-58,647.88 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आवेदन में खसरा क्रमांक 999/2, 999/4, 1030/5 का उल्लेख है। भूमि उपयोग (उत्खनन कार्य) हेतु प्रस्तुत अनुबंध पत्र में खसरा क्रमांक 999/4 का उल्लेख नहीं है। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक नतुर्वेदी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बटुराबहार का दिनांक 21/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - टी.पी. क्वारी प्लान, इन्फ्रायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2056/खनिज/खलि.3/उत्खनन यो./2019 अम्बिकापुर, दिनांक 14/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 348/खनि.शा./2019 जशपुर, दिनांक 10/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 3.187 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 330/ खनि.शा./2019 जशपुर, दिनांक 04/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/172/खनि.शा./2019 जशपुर, दिनांक 11/08/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वेधता जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु वैध है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./2019/5168 जशपुर, दिनांक 09/10/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।
7. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बटुराबहार 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-बटुराबहार 1 कि.मी. एवं अस्पताल पत्थलगाम 15 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.75 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.77 कि.मी. दूर है। बुरही नदी 1.1 कि.मी., नाला 2.15 कि.मी. एवं तालाब 0.43 कि.मी. दूर है।
8. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
9. जिपसोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,30,000 टन, माईनेबल रिजर्व 68,590 टन एवं रिफ्रैक्टरेबल रिजर्व 65,161 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.38 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। कठोर संगठ्य जाना प्रस्तावित नहीं है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 6,121 घनमीटर एवं मीटाई 1 मीटर है। ओवरबर्दन को गाईन बाउण्ड्री में डम्प किया जाएगा। वेज की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। कंट्रोल स्टाफिंग किया जाएगा। ध्वंसार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	58848
द्वितीय	6613

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.66 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से टैंकर द्वारा की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
11. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 774 नग पौधे (कम से कम 4 फीट के ऊंचे) एवं खदान के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ में अतिरिक्त 200 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. भूमि उपयोग (उत्खनन कार्य) हेतु प्रस्तुत अनुबंध पत्र में खसरा क्रमांक 999/4 का उल्लेख नहीं होने के संबंध में बताया गया कि उक्त खसरा शासकीय भूमि का है।
14. माननीय एन.जी.टी. प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येद पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समझ विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 57.81	2%	Rs. 1.16	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Batura bahar	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 1.08
			Plantation work	Rs. 0.10
			Total	Rs. 1.16

सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विधार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 348/खनि. शा./2019 जशपुर, दिनांक 10/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 3.187 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बदुराबहार) का रकबा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विधार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम-बदुराबहार, तहसील-पत्थरगाँव, जिला-जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 999/2, 999/4, 1030/5 कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता- 58,647 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री आर. आर्ज्यु मनीराज (पीपरछेड़ी सेण्ड माईन ग्राम-पीपरछेड़ी, तहसील व जिला-दुर्ग), एच.एस.सी.एल. कॉलोनी, सेक्टर-6, मिलार्ड, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1031)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 127131/2019, दिनांक 24/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-पीपरछेड़ी, तहसील व जिला-दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 502, कुल लीज क्षेत्र 4.858 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी रो किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर गिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। गिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/02/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री अरविंद कुमार अग्रवाल (कोनारी सेण्ड माईन, ग्राम-कोनारी, तहसील व जिला-दुर्ग), बेरला रोड, अहिवारा, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1033)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 127359/2019, दिनांक 25/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन

आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/12/2019 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-कौनारी, तहसील व जिला-दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 172, कुल लीज क्षेत्र 3.64 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-65,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर गिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। गिड मैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़ड़ा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जायें।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सूक्ष्मोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के जापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/02/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के सम्मेलन बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री अरविंद कुमार अग्रवाल (भरदा सेण्ड माईन, ग्राम-भरदा, तहसील व जिला-दुर्ग), बेरला रोड अहिवारा, तहसील-धनधा, जिला- दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1035)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ रीजी/ एमआईएन/ 127571/2019, दिनांक 26/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से जापन दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान ग्राम-भरदा, तहसील व जिला-दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में दी गई कारगवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संयोजित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरंगित जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/02/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई पॉजिटिव जानकारी एवं समस्त सुरंगित जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्री चैतराम नाग (मिनगावल सेण्ड माईन ग्राम-मिनगावल, तहसील-मैरमगड, जिला-बीजापुर), हॉस्पिटल पारा, चीर घर के पास, तहसील व जिला-बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1070)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129899/2019, दिनांक 20/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान ग्राम-मिनगावल, तहसील-मैरमगड, जिला-बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 36, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मिनगावल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पैमाना भी प्रस्तुत किया जायें।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्ण से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त सभ्य सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चैतराम नाग, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गदामली का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण-बरार दनोयाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1531/खनिज/स.यो./2019-20 दनोयाड़ा, दिनांक 02/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 919/खनिज/2019 बीजापुर दिनांक 27/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 921/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 के अनुसार जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 893/कले./खनिज/रे.ख./रि.ओ./2019 बीजापुर, दिनांक 25/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु फेस है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्राकृतिक डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 7045/खनि02/रेत(ई.सी.)/न.क्र.38/1998 दिनांक 08/12/2015 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित रेत की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर इन्दावती टाईगर रिजर्व बीजापुर का बफर जोन स्थित है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-मंगलनार 0.25 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम-गदामली 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-गिमेड 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 50 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के अलनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी पर पुल स्थित है। एनीकट की दूरी 500 मीटर से अधिक है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - 190-200 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 90 मीटर दर्शाई गई है। नदी तट से खदान की दूरी 20 मीटर है।

12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 04 से 05 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 02 मीटर दर्शाई गई है। आवेदन अनुसार खदान में उपलब्ध रेत की मात्रा – 80,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (PII) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढा (PII) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर से 3 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत गदामली (ग्राम-भिनगाबल) के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 36, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता-50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बीजापुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 23/08/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गैर अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 18/01/2020 को रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Gadamali	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Repairing toilets and running water facility for toilets	Rs. 0.50
			Total	Rs. 1.00

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मिनगावल नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।
17. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम-मिनगावल) का रकबा 3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य — पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पीछे — 600 नग अर्जुन के पीछे तथा शेष 600 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। पहुंच मार्ग पर 600 नग पीछे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बावत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनःभरण की रिश्ति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं तथा स्लैज के अपरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन भी लिए जाएंगे। इसके अलावा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन भी किया जाएगा। के इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्ही गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एल.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री चैतराम नाग, मिनगावल सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 36, ग्राम-मिनगावल, तहसील-नैरनगढ़, जिला-बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई मजदूरों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबन्धित

रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स नंदनी-खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्री विरेन्द्र चौपड़ा), ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमघा, जिला-दुर्ग (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 735C)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्ण में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 28526 / 2018, दिनांक 02/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48795 / 2018, दिनांक 28/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित लुना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-नंदनी-खुंदनी, तहसील-धमघा, जिला-दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1924/2, कुल लीज क्षेत्र 4.60 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता -41,000 टन प्रतिवर्ष है। खदान 15/01/2016 के पश्चात बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण यह प्रकरण उत्खनन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को सुनवाई की गई थी, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया था। प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - ग्राम पंचायत नंदनी-खुंदनी द्वारा दिनांक 24/10/2006 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईनिंग प्लान एलौगविथ प्रोपेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान खुरो, नागपुर (छ.ग.) के पत्र ज्ञापन डीआरजी/ एलएसटी/ एमपीएलएन-1109/ नागपुर दिनांक 07/02/2013 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2298 दिनांक 28/01/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 13 खदानें रकबा 108.48 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान हैं।
4. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - समीपस्थ आबादी ग्राम-नंदनी-खुंदनी 400 मीटर एवं शहर अहियारा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन गिलाई 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम-नंदनी-खुंदनी 1 कि.मी. एवं अस्पताल अहियारा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शिवनाथ नदी 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 25 कि.मी. है।
5. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटकली पॉल्यूटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
6. लीज का विवरण - लीज डीड श्री विरेन्द्र चौपड़ा के नाम पर है, जो 30 वर्षों के लिए दिनांक 16/01/2015 से 15/01/2045 तक की अवधि हेतु है।

7. जियोमीजिकल रिजर्व 3,41,000 टन एवं माइनेबल रिजर्व 2,04,000 टन है। उत्खनन सेमी मेकनाइज्ड ओपन कास्ट विधि से किया जाता है। खदान की वर्तमान गहराई 5 मीटर एवं अधिकतम गहराई 11 मीटर होगी। ड्रिलिंग हेतु जेक हेमरड्रिल का उपयोग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। बेंच की अंतिम (अस्ट्रिमेट) ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर होगी। उपरी मिट्टी की गहराई 1.2 मीटर है। जल की मात्रा 10 किलो लीटर प्रतिदिन (ड्रिलिंग एवं इस्ट सप्लेशन 04 किलो लीटर प्रतिदिन, प्लांटेशन 03 किलो लीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु किलो लीटर प्रतिदिन) है, जल का स्रोत बोरवेल है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 75 मीटर खुला क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। विगत वर्ष के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	वास्तविक उत्खनन (टन)
2015-16	2,569
2016-17	5,520
अप्रैल 2017 से उत्पादन बंद है।	-

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	उत्खनन क्षमता (टन)
प्रथम वर्ष	-
द्वितीय वर्ष	27,543
तृतीय वर्ष	32,163
चतुर्थ वर्ष	36,746
पंचम वर्ष	41,062
कुल	1,37,514

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2019 द्वारा अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित भेजी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/02/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किया जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—

- iv. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी — मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 19 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 19 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 9 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- v. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.₁₀ 24.8 से 46.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम._{2.5} 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 9.0 से 13.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 14.2 से 19.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 35.1 डीबीए से 59.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 28.4 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विरेन्द्र चौपड़ा, प्रोपराईटर एवं प्रोजेक्ट सलाहकार के रूप में मैसर्स इन सिटु इन्वॉयरो केयर, भोपाल की ओर से श्री विजय साहू उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक 1,200 टन एवं वर्ष 2016-17 में 5,510 टन उत्खनन किया गया है। अप्रैल 2017 से उत्खनन बंद है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है।
3. प्रस्तुत ई.आई.ए. में ध्वनि के प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरक्षण (Noise Modelling) नहीं किया गया है।
4. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ 63 से 112.7 माईक्रोग्राम/घनमीटर बताया गया है, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है।

5. सखनन अवधि में सखनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों को कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तापित स्कूल / स्थल का नाम, पता एवं कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. बलस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरेवेल से किया जाना बताया गया है। उक्त हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
10. लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 प्रातः 12:00 बजे स्थान शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम-मंडेसरा तहसील-धन्धा, जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, मधु रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 26/11/2019 द्वारा प्रेषित किया गया है।
11. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
 - i. इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिगरा से पॉपर हॉउस रोड जहाँ पर मिट्टी खदानों की बड़ी-बड़ी गाड़ियां चलती हैं, की स्थिति ठीक नहीं है तथा सड़कें अत्यंत जर्जर हो चुकी हैं। इन मार्गों का डी.एम.एफ. से उपलब्ध राशि से संभारण करवाया जाये। डी.एम.एफ. से कोई विकास नहीं हुआ है।
 - ii. निश्चित समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। सभी खदानों में एक समय पर ब्लाटिंग होना चाहिए। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे खदान एवं कशर जो धालू होगा उसमें शारसन का नियम लागू होगा। उसकी सतत निगरानी शासन द्वारा किया जाए। कशर को पूर्णतः कंठर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाए।
 - iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।
 - iv. खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिए। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिए।
 - v. खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें हैं, जिससे पानी टहरता नहीं है। जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नहीं किया गया है। ब्लाटिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से सखनन भी किया जा रहा है।
 - vi. मिट्टी के परिवहन हेतु बड़ी-बड़ी वाहने चलती हैं, उससे बहुत दुर्घटना होती है। इनके गति में रोक लगाई जाए। रोड का भी संभारण किया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. डी.एम.एफ. की राशि या रॉयल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जाएगा।
- ii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।
- iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पूर्व से ही खदानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- iv. जल स्तर 30 मीटर नीचे है। खदान से उत्खनन की अधिकतम गहराई 30 मीटर से कम रखी जाएगी।
- v. जो खदानें बंद बड़ी हैं, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है। उनमें जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को भी दिया जाएगा।
- vi. सभी खदानें अपनी लीज क्षेत्र में संचालित हैं। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में समिति की 260वीं बैठक दिनांक 27/10/2018 को प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया था कि वर्ष 2015-16 में 3,069 टन एवं वर्ष 2016-17 में 5,510 टन उत्खनन किया गया है। वर्तमान में वर्ष 2015-16 में 2,568 टन एवं वर्ष 2016-17 में 5,820 टन उत्खनन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। अतः उक्त उत्खनित क्षेत्र का विघटन लंबाई, गहराई सहित नक्शे में प्रदर्शित कर वर्तमान में भराव (बैकफिल) हेतु प्रयुक्त मिट्टी / ओवरबर्डन की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उत्खनित ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र में कितनी मात्रा में उपयोग किया जाएगा एवं शेष ऊपरी मिट्टी के उचित रख-रखाव के प्रस्ताव सहित संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. जारी टी.ओ.आर. में दिये गये शर्त क्रमांक 23 एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दुओं का पालन प्रतिबेदन प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तुत ई.आई.ए. में परिवेशीय ध्वनि स्तर में उत्खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न ध्वनि को शामिल करते हुये प्रभाव का आकलन तथा ध्वनि प्रतिरूपण (Noise Modelling) नहीं किया गया है। अतः गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. परिवेशीय वायु में पी.एम.₁₀ की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है। अतः उक्त के कारण को स्पष्ट किया जाए तथा प्रभावी नियंत्रण (Mitigation measure) संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. ग्राउण्ड वॉटर टेबल में जल की गहराई का मापन के आधार संबंधी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

8. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियेशन प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।
9. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन / दुष्प्रभाव नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल / स्थल का नाम, पता एच एस्टीमेट सहित कार्यवार व्यय का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
11. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रस्तुत किया जाए। क्लस्टर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु विन्हीत विभिन्न कार्य (यथा क्लस्टर के सड़कों/एप्रोच रोड का पक्कीकरण एवं संधारण, परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन का नियंत्रण, जल छिड़काव व्यवस्था, सड़कों/एप्रोच रोड के किनारे तथा क्लस्टर में उपलब्ध खुली भूमि में वृक्षारोपण, वाहन दुर्घटना का रोकथाम का उपाय, आदि) का विवरण एवं क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक लीजधारक का उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व का विवरण प्रस्तुत करें।
12. परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति वर्तमान में स्थापित बोरवेल से किए जाने हेतु सैन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
13. इन्व्हॉयरोमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री बाबूलाल यादव (रामनगर ब्रिक्स अर्थ क्वारी), ग्राम-रामनगर, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1078)

ऑनलाईन आवेदन - पर्यावरण नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 133621/2019, दिनांक 26/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-रामनगर, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1397, कुल क्षेत्रफल 2.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता-4,905.25 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईट निर्माण इकाई क्षमता 22,00,000 नग) है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की पटनीय प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फॉलोअपस सहित प्रस्तुत की जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनोकाट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बाबूलाल यादव, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अधलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामनगर का दिनांक 25/12/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान एलांगमिथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 70/खनिज/2016, सूरजपुर दिनांक 09/11/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3190/खनिज/2020 सूरजपुर दिनांक 16/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3189/ खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनोकाट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. लीज का विवरण – लीज बीड श्री बाबूलाल यादव के नाम पर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 630/खनिज/2018 सूरजपुर, दिनांक 21/03/2018 द्वारा उत्खनिपट्टा 30 वर्षों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 2289 सूरजपुर, दिनांक 21/04/2014 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-रामनगर 1.5 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम-रामनगर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। रहर नदी 2 कि.मी. दूर है। कुमड़ा आरक्षित वन 1.5 कि.मी. एवं संरक्षित वन 0.4 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान अमघारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व 43,200 घनमीटर एवं नार्इनेबल रिजर्व 37,153 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर (0.09 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की गहराई 2 मीटर बताया गया है, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। उत्खनन औपन कास्ट मैनुअल विधि से किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर होगी। प्रस्तावित स्थाई चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फलाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष होगी। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

प्रथम पांच वर्ष की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (नग)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	2,125	0.8	1,700	20,54,813
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	1,953	1.0	1,953	
द्वितीय वर्ष प्रथम बेंच	2,106	0.8	1,685	20,84,423
द्वितीय वर्ष द्वितीय बेंच	2,021	1.0	2,021	
तृतीय वर्ष प्रथम बेंच	2,110	0.8	1,688	21,14,438
तृतीय वर्ष द्वितीय बेंच	2,071	1.0	2,071	
चतुर्थ वर्ष प्रथम बेंच	2,112	0.8	1,690	21,26,586
चतुर्थ वर्ष द्वितीय बेंच	2,091	1.0	2,091	
पंचम वर्ष प्रथम बेंच	2,187	0.8	1,750	21,26,588
पंचम वर्ष द्वितीय बेंच	2,031	1.0	2,031	

Handwritten signature

आगामी पांच वर्ष की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (नग)
छठवे वर्ष प्रथम बेंच	2,180	0.8	1,728	21,66,750
छठवे वर्ष द्वितीय बेंच	2,124	1.0	2,124	
सातवे वर्ष प्रथम बेंच	2,206	0.8	1,766	21,87,450
सातवे वर्ष द्वितीय बेंच	2,124	1.0	2,124	
आठवे वर्ष प्रथम बेंच	2,259	0.8	1,807	22,07,363
आठवे वर्ष द्वितीय बेंच	2,117	1.0	2,117	
नौवे वर्ष प्रथम बेंच	2,002	0.8	1,602	19,22,400
नौवे वर्ष द्वितीय बेंच	1,816	1.0	1,816	
दसवे वर्ष प्रथम बेंच	1,953	0.8	1,562	19,03,163
दसवे वर्ष द्वितीय बेंच	1,821	1.0	1,821	

नोट: सातिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की खपत 6 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति निकटतम बोरवेल से की जाएगी। डस्ट उत्सर्जन के रोकथाम हेतु जल छिड़काव किया जाएगा।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
 - i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 1397, क्षेत्रफल 24 हेक्टेयर, क्षमता-4,905.25 घनमीटर (ईट निर्माण 20,07,363 नग) प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-सुरजपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14/02/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 03 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।
 - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 - iii. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के चारों तरफ 1 मीटर (0.09 हेक्टेयर) क्षेत्र में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के

अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से बर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 12.4	2%	Rs. 0.24	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Ramsagar	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.45
			Total	Rs. 0.45

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

14. माननीय एन.जी.टी. प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के जापन क्रमांक 3190/खनिज/2020 सुरजपुर दिनांक 16/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-रामनगर) का रकबा 2.4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम-रामनगर तहसील व जिला-सुरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1397, कुल क्षेत्रफल - 2.4 हेक्टेयर मिट्टी उत्खनन (गीण खनिज) क्षमता - 4,905 घनमीटर (ईट निर्माण इकाई क्षमता 22,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण संसाधन निर्धारण प्राधिकरण (र.स.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स शिव शक्ति मेटल्स (टाकरागुडा लाईम स्टोन माईन), ग्राम-टाकरागुडा, तहसील-लोहांडीगुडा, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 748)

ऑनलाईन आवेदन - पृथ में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 25496 / 2018 दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48795 / 2018, दिनांक 26/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2016 के पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-टाकरागुडा, तहसील-लोहांडीगुडा, जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 276/1(मार्ट), कुल क्षेत्रफल - 242 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 45,200 टन प्रतिवर्ष है। यह खदान 15/01/2016 के पश्चात् बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन जारी रखने के कारण उत्खनन की श्रेणी का है। इस प्रकरण में समिति की 273वीं बैठक दिनांक 27/03/2019 को सुनवाई की गई, जिसमें टीओआर जारी करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - ग्राम पंचायत टाकरागुडा द्वारा दिनांक 15/06/1999 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - परियोजना प्रस्तावक द्वारा मीडिकिंकेशन इन एप्लूड्ड माईनिंग प्लान विथ प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक बस्तर/ ग्रूप/ खयो-1157/ 2018/ रायपुर दिनांक 12/07/2018 जो वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 2277/खनिज/ख.लि.1/ख.प. /2018 जगदलपुर, दिनांक 29/09/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. वन मंडलाधिकारी, बस्तर वन मंडल, जगदलपुर के ज्ञापन दिनांक 11/02/2019 के अनुसार "आवेदित भूमि वन क्षेत्र कक्ष क्र. पी/1614 सिरिसगुडा से 3.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।" होना बताया गया है।
5. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - समीपस्थ आबादी ग्राम-टाकरागुडा 0.53 किलोमीटर एवं शहर जगदलपुर 20.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल एवं प्राथमरी मेडिकल ग्राम- टाकरागुडा 0.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन तोकापाल 14.8 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्यमार्ग 0.74 किलोमीटर है। इन्द्रावती नदी 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है।
6. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

7. लीज का विवरण – लीज डीड मेसर्स शिव शक्ति मेटल्स के नाम पर है, जो 20 वर्षों के लिए दिनांक 17/09/2002 से 16/09/2022 तक की अवधि हेतु है।
8. नाईनेचल रिजर्व 4,06,448 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.4 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। वर्तमान में उत्खनन की गहराई 8 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। ऊपरी की मिट्टी की गहराई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9.5 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लारिस्टिंग किया जाता है। जल की मात्रा 7295 किलोलीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति वॉटर टैंकर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र में 500 नम वृक्षारोपण किया गया है। विगत वर्षों के उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

उत्खनन की वर्षवार योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	Actual उत्खनन (टन)
2013-14	-	-
2014-15	14,940	3,233
2015-16	14,985	14,328
2016-17	14,963	9,328
2017-18	14,985	-

उत्खनन की वर्षवार प्रस्तावित योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
2018-19	45,000
2019-20	45,000
2020-21	45,000
2021-22	45,000
2022-23	45,200

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

9. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। रिश्ति ऊपर स्पष्ट की गई है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2019 द्वारा अधिसूचना का आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (दिना लोक सुनवाई) नॉन कोल नाईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2019 से मई 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम._{2.5} 27 से 39.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.₁₀ 66.4 से 94.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 10.8 से 14.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 15.3 से 18.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48.1 डीबीए से 53.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.1 डीबीए से 35.8 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त संगत सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार ध्वनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/02/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई बांझित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री संदीप सिंह (हरदी सॉईल/ऑर्डिनरी वले क्वारी), ग्राम-हरदी, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1009)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43908/2019, दिनांक 07/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन

आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा याचित जानकारी दिनांक 26/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साईंल/ऑर्डिनरी ब्ले (गैण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-हरदी, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 425, 426, 429, 430, 513/3, 516, 517, 518/1, 518/2, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 एवं 529, कुल क्षेत्रफल-3.708 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रभावित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी ई आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव का दिनांक 30/10/2001 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना – माईनिंग प्लान स्वारी कम इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-6/2016/2578 रायपुर, दिनांक 19/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।

3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनादगांव के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 08 खदानें, क्षेत्रफल 13.79 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल राजनादगांव, जिला-राजनादगांव को आपन क्रमांक /ना.पि./5-18/609 राजनादगांव, दिनांक 17/01/2007 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 25 कि.मी. की दूरी पर है।
5. लीज का विवरण – लीज डीड श्री संदीप सिंह के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष (दिनांक 06/02/2012 से 05/02/2022 तक) की अवधि तक है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-हरदी 0.5 कि.मी. स्कूल ग्राम-हरदी 0.09 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-हरदी 0.9 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 0.35 कि.मी. दूर है।
8. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंदित किया है।
9. जियोलाॉजिकल रिजर्व लगभग 1,11,240 टन, माईनेबल रिजर्व 99,516 टन एवं रिकॉरबल रिजर्व 70,815 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर (0.06 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की गहराई 2 मीटर बताया गया है, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। उत्खनन ओपन कास्ट मेनुअल विधि से किया जाता है। बेच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। स्थाई किमनी की ऊंचाई 38 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत पत्ताई एश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 32 वर्ष है। परिवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	750	2	1500	2,250
द्वितीय	750	2	1500	2,250
तृतीय	750	2	1500	2,250
चतुर्थ	750	2	1500	2,250
पंचम	750	2	1500	2,250
छटवे	750	2	1500	2,250

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 कि.ली. प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल/नदी के माध्यम से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

11. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 425, 426, 429, 430, 513/3, 516, 517, 518/1, 518/2, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 एवं 529 क्षेत्रफल 3.708 हेक्टेयर, क्षमता-1,500 घनमीटर हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 के द्वारा जारी दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।
 - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 - iii. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की आवधिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
12. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विकसित भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) ने दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 08 खदानें, क्षेत्रफल 13.8 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-हरदी) का रकबा 3.708 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-हरदी) को मिलाकर कुल रकबा 17.508 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम्.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्स इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 1.0 meter of mine lease periphery within one year.
 - ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - iii. Project proponent shall submit certificate regarding no establishment of public utilities such as temple, cremation ground, hospital, school,

bridge, dam, anicut and water supply source etc. within 200 meter radius from concerned department.

- iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
- v. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स श्री भागचंद जैन (चवेली लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-चवेली, तहसील व जिला-राजनादगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 972)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42470/2019, दिनांक 13/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से झापन दिनांक 11/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चवेली, तहसील व जिला-राजनादगांव स्थित खसरा क्रमांक 401(पी), 402/2(पी), 402/3, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5 एवं 405, कुल क्षेत्रफल- 2.176 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 15,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भागचंद जैन, घोमराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत स्वपरीक्षुर्द का दिनांक 11/05/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.) जिला-रायपुर के आपन क्रमांक क. /ख.सि./तीन-6/2018/1385 रायपुर, दिनांक 10/01/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – खनि निरीक्षक, जिला-राजनांदगांव द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव को प्रेषित पत्र के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 8 खदानों, क्षेत्रफल 5.99 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक/मा.वि./न.क.10-2/2019/13196 राजनांदगांव, दिनांक 24/12/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है।
5. लीज का विवरण – लीज डीड श्री भागचंद जैन के नाम पर है, जिसकी अवधि 30 वर्ष (दिनांक 06/04/2018 से 05/04/2048 तक) की अवधि तक है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-ठेलकाडीह 2 कि.मी., स्कूल राजनांदगांव 13 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-ठेलकाडीह 2 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.4 कि.मी. दूर है।
8. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
9. जियोलॉजिकल रिजर्व 8,52,800 टन, माइनेबल रिजर्व 2,83,932 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,69,736 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.84 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। आपन कार्ट सेमी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। बंध की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल लाईट स्लाइटिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	2500	3	7500	15,000
द्वितीय	2500	3	7500	15,000
तृतीय	2500	3	7500	15,000
चतुर्थ	2500	3	7500	15,000
पंचम	2500	3	7500	15,000

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल / नदी के माध्यम से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

11. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्ण में खदान खसरा क्रमांक 401(पी), 402/2(पी), 402/3, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5 एवं 405, क्षेत्रफल 2.176 हेक्टेयर, क्षमता—15.000 टन हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण जिला—राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14/03/2018 के द्वारा जारी दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।
- ii. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—राजनांदगांव के ड्राफ्ट क्रमांक 281/ख.नि 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 01/02/2020 के अनुसार वर्ष 2018 में 10.400 घनमीटर एवं वर्ष 2019 में 10.300 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

12. वृक्षारोपण कार्य — सीज क्षेत्र के घाटों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1,100 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सचिवेंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided,
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. खनि निरीक्षक, जिला—राजनांदगांव द्वारा कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—राजनांदगांव को प्रेषित पत्र के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 06 खदानें, क्षेत्रफल 5.99 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम—घवेली) का रकबा 2.176 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—घवेली) को मिलाकर कुल रकबा 8.166 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की गानी नगी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टोअउटर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
- ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department.
- iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding no establishment of public utilities such as temple, cremation ground, hospital, school, bridge, dam, anicut and water supply source etc. within 200 meter radius from concerned department.
- v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
- vi. Project Proponent shall submit proposal for storage of top soil and amend the mining plan accordingly.
- vii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- viii. Project Proponent shall submit NOC from CGWA for ground water usage.

राज्य स्तर पर्यावरण संगाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री रितेश जैन), ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 970)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43866/2019, दिनांक 12/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमीषी होने से ज्ञापन दिनांक 11/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित प्लॉट ऑफ़ लॉसरा क्रमांक 116/3, कुल क्षेत्रफल-0.76 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 15,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर प्रस्तुत की जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रितेश जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/02/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

13. मैसर्स श्री लज्जु सोनी (सेमरा रोपड माईन, ग्राम-सेमरा, तहसील-ओडगी, जिला-सूरजपुर), ग्राम-सोनारपारा, तहसील-मैयाथान, जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1082)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 133873/2019, दिनांक 27/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान ग्राम-सेमरा, तहसील-ओडगी, जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 207, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर प्रस्तावित है। उत्खनन रैड (रेडर) नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-40,470 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. ओ-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मौटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो पिगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दरतावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप राजवाड़े अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री गोपाल दास टण्डन, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अदलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमरा दिनांक 02/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1845/खनिज/2019, कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 17/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3034/खनिज/2019 सूरजपुर, दिनांक 20/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3034/खनिज/2019 सुरजपुर, दिनांक 20/12/2019 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1928/गी.छ.रे./रि.ऑ./न.क.01/2019 सुरजपुर, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्राकृतिक डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. कार्यालय घनगण्डलाधिकारी, सुरजपुर घनगण्डल, जिला-सुरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./139 सुरजपुर, दिनांक 04/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1 कि.मी., वन्यजीव अभ्यारण्य 20 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान 40 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-सेमरा 1 कि.मी., स्कूल सेमरा 1.2 कि.मी एवं अस्पताल बलंगी 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 83.25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 44 कि.मी. दूर है। तालाब 0.95 कि.मी. दूर है। ग्रामीण सड़क पर 1.3 कि.मी. में पुल अपस्ट्रीम में है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तापक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - 500 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 79.78 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के पूर्वी किनारे से दूरी 15 मीटर एवं पश्चिमी किनारे से दूरी 280 मीटर है। नदी पाट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत (50 मीटर) छोड़ा जाना है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 40,470 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सातह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 गड़्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सातह की गहराई मापने के आधार पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत रोमरा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 207, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता – 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समझौता निर्धारण प्राधिकरण, जिला-सुरजपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति आपन क्रमांक 1809, दिनांक 15/05/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।
 - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गैर अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
 - iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
 - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के आपन क्रमांक 3358/खनिज/रेत/2020 सुरजपुर, दिनांक 03/02/2020 द्वारा वर्ष 2017 में 1,500 घनमीटर, वर्ष 2018 में 300 घनमीटर एवं वर्ष 2019 में 1,200 घनमीटर रेत उत्खनन किया गया है।
14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से 2.13 हेक्टेयर वास्तविक उत्खनन क्षेत्र एवं 2.87 हेक्टेयर गैर उत्खनन क्षेत्र है, जिसमें नदी घाट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत (50 मीटर) तथा रीक स्थित क्षेत्र सम्मिलित है।
 15. रीक क्षेत्र में भी भविष्य में सर्वे के दौरान 25 गुणा 25 मीटर के ग्रिड में आर.एल. मापन किया जाए।
 16. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 16/11/2019 की रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
 17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 20.1	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village-Thadpathar	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 1.72
			Plantation work	Rs. 0.10
			Total	Rs. 1.82

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

18. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से रेत मराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। रेड (रेडर) नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-सेमरा) का रकबा 5 हेक्टेयर में से 2.13 हेक्टेयर वास्तविक उत्खनन क्षेत्र है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/समाहित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पीछे - 1,000 नग अर्जुन के पीछे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। साथ ही पहुँच मार्ग में 500 नग पीछे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बावत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह गर्ई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित रिड बिन्दुओं तथा लीज के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन भी लिए जाएंगे। इसके अलावा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन भी किया जाएगा। के इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्ही रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री लल्लु सोनी, सेमरा रोपड़ माईन को खसरा क्रमांक 207, ग्राम-सेमरा, तहसील-ओडगी, जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में से 2.13 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-05 में बर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02

वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई अगिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में नारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स श्री पवन वाघवा लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1010)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43830/2019, दिनांक 08/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खतरा क्रमांक 23, कुल क्षेत्रफल-0.631 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-18,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पवन वाघवा प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 12/12/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्डाग्रमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा), जिला-रायपुर के आपन क्रमांक /तीन-6/ख.लि./2016/536 रायपुर, दिनांक 01/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 2634/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 10 खदानें, क्षेत्रफल 10.66 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 2634/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक /मा.चि./न.क. 10-2/2019/13139 राजनांदगांव, दिनांक 23/12/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।
6. लीज का विवरण – लीज खीठ श्री शंकर ज्ञानचंदानी के नाम पर है, जिसकी अवधि 05 वर्ष (दिनांक 28/05/2008 से 27/05/2013 तक) की अवधि तक थी। तत्पश्चात् 30 वर्ष (दिनांक 27/05/2038 तक) की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-ढेलकाडीह 1 कि.मी. स्कूल 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-ढेलकाडीह 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 18.5 कि.मी. एवं तालाब 0.2 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
10. गियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,38,825 टन, माईनेबल रिजर्व 1,36,725 टन एवं रिफ्रैक्टरीबल रिजर्व 1,23,052 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.59 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। जैक हैंगर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टाबिलिटींग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	गहराई (मीटर में)	आयतन (घनमीटर में)	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
------	-----------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------------

प्रथम	2,200	1.5	3,300	8,250
द्वितीय	2,700	1.5	4,050	10,125
तृतीय	3,250	1.5	4,875	12,188
चतुर्थ	3,850	1.5	5,775	14,438
पंचम	4,800	1.5	7,200	18,000

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति बोरेवेल के माध्यम से की जाती है। खदान में धातु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

i. पूर्व में खदान खनन क्रमांक 23, क्षेत्रफल 0.631 हेक्टर, क्षमता-18,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनादगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/09/2016 के द्वारा जारी दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनादगांव के आपन क्रमांक 278/ख.लि. 03/2020 राजनादगांव, दिनांक 01/02/2020 के अनुसार जुलाई 2009 में 825 टन, वर्ष 2010 में 8,487 टन, वर्ष 2011 में 658 टन, वर्ष 2012 में 9,820 टन, वर्ष 2013 में 5,355 टन, वर्ष 2014-16 में निरंक, वर्ष 2017 में 2,060 टन, वर्ष 2018 में 13,200 टन एवं वर्ष 2019 में 5,900 टन उत्खनन किया गया है।

13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर घुले क्षेत्र 0.59 हेक्टर में 100 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा। वर्तमान में 500 नग वृक्षारोपण किया गया है।

14. माननीय एन.जी.डी. प्रिंसिपल बंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

i. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनादगांव के आपन क्रमांक 2634/ख.लि. 03/2019 राजनादगांव, दिनांक 24/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 10 खदान, क्षेत्रफल

10.66 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-डुमरडीहकला) का रकबा 0.631 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-डुमरडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 11.29 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिकवायरिंग इन्वायरमेंट यलीयर्स अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक चुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
- ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report
- iii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
- iv. Project Proponent shall submit proposal for storage of top soil.
- v. Project Proponent shall submit NOC from CGWA for ground water usage.
- vi. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

राज्य स्तर पर्यावरण समायोजन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स दिव्या ड्याकलिया लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1012)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 43969/2017, दिनांक 08/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियाँ होने से आपन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/12/2019 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 53/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 55/2, कुल क्षेत्रफल-1.663 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-32,156.25 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.पी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 06/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेश झाकलिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दुमरडीहकला का दिनांक 05/08/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — वचारी प्लान विथ वचारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्फ्रामरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.) जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन-6/2016/2709 रायपुर दिनांक 28/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2635/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव दिनांक 24/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 14 खदानों, क्षेत्रफल 13.81 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) के ज्ञापन क्रमांक 2635/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /ना.वि./नक. 10-2/2019/13141 राजनांदगांव दिनांक 23/12/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।
6. लीज का विवरण — लीज डीड श्रीमती दिव्या झकलिया के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष (दिनांक 04/05/2010 से 03/05/2020 तक) की अवधि तक थी। तत्पश्चात् 20 वर्ष (दिनांक 04/05/2020 से 03/05/2040 तक) की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-टेलकाडीह 1 कि.मी. स्कूल 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-टेलकाडीह 1 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.35 कि.मी. दूर है। तालाब 0.53 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटकली पीएलुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जिओलाजिकल रिजर्व लगभग 8,31,500 टन, माईनेबल रिजर्व 4,85,774 टन एवं रिफ़रैबल रिजर्व 4,37,197 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.448 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। औपन कास्ट सेमी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। बेंग की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	गहराई (मीटर में)	आयतन (घनमीटर में)	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	1,225	10.5	12,862.5	32,156.25
द्वितीय	1,225	10.5	12,862.5	32,156.25
तृतीय	1,225	10.5	12,862.5	32,156.25
चतुर्थ	1,225	10.5	12,862.5	32,156.25
पंचम	1,225	10.5	12,862.5	32,156.25

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति बोस्वेल के माध्यम से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
- पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 53/3 से 10 एवं 55/2, क्षेत्रफल 1.883 हेक्टेयर, क्षमता-32,156.25 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समायात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/03/2017 के द्वारा जारी दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।
 - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
 - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के जापन क्रमांक 285/ख.ति. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 के अनुसार वर्ष 2010 में 2,099 टन, वर्ष 2011 में 1718 टन, वर्ष 2012 में 1934 टन, वर्ष 2013 में 675 टन, वर्ष 2014 में 1,208 टन, वर्ष 2015 में 4,908 टन, वर्ष

2016 में 4.537 टन, वर्ष 2017 में 6.552 टन, वर्ष 2018 में 20.960 टन एवं वर्ष 2019 में 12.301 टन उत्खनन किया गया है।

13. वृक्षारोपण कार्य - वर्तमान में 500 नग वृक्षारोपण किया गया है। सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र 0.448 हेक्टेयर में 600 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।
14. माननीय एच.जी.टी., प्रिंसिपल सचिव, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 2635/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 14 खदानों क्षेत्रफल 13.81 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-डुमरडीहकला) का रकबा 1.663 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-डुमरडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 15.47 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का गलबस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. बौजपट्टी के दो बिन्दुओं में पूर्व में खनन हो चुका है, 7.5 मीटर इस क्षेत्र में छोड़ा जाना संभव नहीं है। अतः इस क्षेत्र में 7.5 मीटर छोड़कर माईनिंग किया जाएगा।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टिविटीज रिकवायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
 - ii. Project Proponent shall inform S.E.A.C Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - iii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
 - iv. Project Proponent shall submit proposal for storage of top soil.
 - v. Project Proponent shall submit NOC from CGWA for ground water usage.

vi. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स श्री योगेश डकलिया लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम-डूमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1011)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43975/2017, दिनांक 08/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से झापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डूमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खतरा क्रमांक 37/3, कुल क्षेत्रफल - 0.404 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 8,172 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक की आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेश डकलिया, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डूमरडीहकला का दिनांक 21/11/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. उत्खनन योजना - उपरी प्लान विध उपरी क्लोजर प्लान एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के आपन क्रमांक क/ख.लि./सीन-6/2016/2715 रायपुर, दिनांक 28/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 2638/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 15 खदानें, क्षेत्रफल 15.82 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक 2638/ख.लि. 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के आपन क्रमांक /मा.वि./न.क. 10-2/2019/13143 राजनांदगांव, दिनांक 23/12/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 9 कि.मी. की दूरी पर है।
6. लीज का विवरण - लीज डीड श्री योगेश इकलिया के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष (दिनांक 14/03/2006 से 13/03/2016 तक) की अवधि तक थी। तत्पश्चात् 20 वर्ष (दिनांक 14/03/2016 से 13/03/2036 तक) की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-ठेलकाडीह 1 कि.मी., स्कूल 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-ठेलकाडीह 1 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.73 कि.मी. दूर है। तालाब 0.56 कि.मी दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र -परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,52,500 टन, माईनेबल रिजर्व 8,172 टन एवं रिक्वैरेबल रिजर्व 73,553 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.171 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कार्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। बेध की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जेक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	गहराई (मीटर में)	आयतन (घनमीटर में)	प्रस्तावित उत्खनन
------	-----------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

				(टन में)
प्रथम	545	6	3,269	8,172
द्वितीय	545	6	3,269	8,172
तृतीय	545	6	3,269	8,172
चतुर्थ	545	6	3,269	8,172
पंचम	545	6	3,269	8,172
छठवे	545	6	3,269	8,172
सातवे	545	6	3,269	8,172
आठवे	545	6	3,269	8,172
नौवे	545	6	3,269	8,172
दसवे	545	6	3,269	8,172

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति बोर्डवेल के माध्यम से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 37/3, क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर, क्षमता-8,172 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/03/2017 के द्वारा जारी दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी किया गया है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 284/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 के अनुसार:

वर्ष	उत्पादन (टन में)
2006	150
2007	1,312
2008	3,073
2009	1,866
2010	4,666
2011	3,400
2012	2,809
2013	1,628
2014	2,306
2015	7,854
2016	558
2017	2,924
2018	10,004
2019	3,346

13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 100 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा। वर्तमान में 400 नग वृक्षारोपण किया गया है।
14. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2638/खलि 02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 15 खदानें, क्षेत्रफल 15.52 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-डुमरडीहकला) का रकबा 0.404 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-डुमरडीहकला) को मिलाकर कुल रकबा 15.924 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का खतरा निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
 - लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा में पूर्व में खुदाई हो चुकी है। इस दिशा में 7.5 मीटर छोड़ना संभव नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर उत्खनित क्षेत्र की तरफ उनकी स्वयं की भूमि है, जिसे संपटी जॉन बनाया जाकर वृक्षारोपण किया जाएगा।
 - समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टेपडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम्.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट प्लॉयमेंट अप्थर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेपडर्ड टीओआर (लोक भुनवाई सहित) नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
- Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year.
 - Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
 - Project Proponent shall submit proposal for storage of top soil.
 - Project Proponent shall submit NOC from CGWA for ground water usage.

(Handwritten signature)

- vi Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सुचित किया जाए।

17. मेसर्स हिन्द मल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल एरिया नयनपुर-गिरवरगंज, ग्राम-नयनपुर-गिरवरगंज तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 477)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 49188/ 2019, दिनांक 30/12/2019 को पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्लॉट नंबर 140-147, 136-165, 173-175 एवं 166-172 औद्योगिक क्षेत्र, नयनपुर-गिरवरगंज तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित कुल प्लॉट एरिया-5.74 एकड़ में कोल बॉयरी क्षमता - 0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष (ड्राई एयर जिग प्रोसेस) की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आवेदन किया गया था।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्लॉट नंबर 140-147, 136-165, 173-175 एवं 166-172 औद्योगिक क्षेत्र, नयनपुर-गिरवरगंज तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित कुल प्लॉट एरिया-5.74 एकड़ में कोल बॉयरी क्षमता - 0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष (ड्राई एयर जिग प्रोसेस) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में Proposed change in Technology from 0.6 MTPA Dry Air Jig Process to 0.6 MTPA Heavy Media Cyclone in the existing Coal washery किये जाने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत आवेदन प्रेषित किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/01/2017 द्वारा प्लॉट नंबर 140-147, 136-165, 173-175 एवं 166-172 औद्योगिक क्षेत्र, नयनपुर-गिरवरगंज तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित कुल प्लॉट एरिया-5.74 एकड़ में कोल बॉयरी क्षमता - 0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. बॉयरी में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्थाओं की जानकारी तथा परिवर्तन उपरांत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्थाओं की जानकारी से-कोल भण्डारण से लेकर बॉयरी तक इकाईवार प्रस्तुत की जाए।
3. बॉयरी में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित व्यवस्थाओं की जानकारी तथा परिवर्तन उपरांत औद्योगिक, घरेलू एवं अन्य नदों में जल उपभोग की मात्रा,

दूषित जल की मात्रा, प्रस्तावित उपचार व्यवस्था एवं उपचारित दूषित जल के उपयोग व्यवस्थाओं की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. प्रस्तावित परिवर्तन उपरांत ठोस अपशिष्टों / स्लज की मात्रा एवं अपवहन की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. वर्तमान बीशरी तथा प्रस्तावित परिवर्तन के लिये पीस्यूशन लोड (जस् वायु, ठोस अपशिष्ट आदि) की गणना सहित जानकारी एवं पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. वर्तमान में स्थापित बीशरी तथा प्रस्तावित बेट बीशिंग प्रक्रिया हेतु परिवर्तन संबंधी कार्यकलापों को ले-आउट (पूजारोपण का दर्शाते हुए) में प्रदर्शित कर प्रस्तुत की जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 01/02/2020 (प्राप्ति दिनांक 05/02/2020) द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 07/02/2020 के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 07/02/2020 के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

बैठक घन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(भोसकर विलीस संदिपान)

सदस्य सचिव

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)

अध्यक्ष

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स श्री उदय कुमार शर्मा, जजगा सेण्ड मारुईन को
खसरा क्रमांक 1456, कुल लीज क्षेत्र 4.79 हेक्टेयर, ग्राम-जजगा, तहसील-उदयपुर,
जिला-सरगुजा (छ.ग.) में रेंड नदी से रेत उत्खनन क्षमता 47,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु
प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय जनस्यति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी इलस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.79 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 47,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर मार्डनिंग क्षेत्र एवं अवशेष गैर मार्डनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरान्त ही उत्खनन प्रारंभ किया जाएगा।
5. रेत पुनर्भरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं तथा लीज के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन भी लिए जाएगा। इसके अलावा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन भी किया जाएगा। के इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. धरतीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई भ्रनिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिटर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 20 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इनली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा 500 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के एम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 33.35	2%	Rs. 0.70	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Jajgi	

			Rain Water Harvesting System	Rs. 1.82
			Plantation work	Rs. 0.10
			Total	Rs. 1.92

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनोंक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि कोयिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्साकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय-समय पर आकस्मिकता हेतु सार्वजनिक कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्मति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों को संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काश के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seibacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन इधालन एवं सीमापार संचालन) नियम 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अर्धीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। स्वदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
(बदुराबहार ऑर्डनरी स्टोन टेम्परी परमिट क्वारी(1))

को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 532, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम-बदुराबहार, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-68,647 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 68,647 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरस्यारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा पुनरोपयोग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरस्यारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी विमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इराका सतत संचालन /संचारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

7. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिरूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कीनकरेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. ओवरबर्डन एवं अनुष्योगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन ढम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
11. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुष्योगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पर्याप्त बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा ढम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गार्लेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. खनिज का परिवहन मकनेकली कट्टई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर, (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 57.81	2%	Rs 1.16	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Batura bahar	
			Rain Water Harvesting	Rs. 1.08

			System	
			Plantation work	Rs. 0.10
			Total	Rs. 1.16

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
16. उत्खनन हेतु निश्चित क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 974 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा घिनीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/भफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
19. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से स्थापित किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। गेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
20. उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
21. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मौल्य खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज विधन, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
23. कार्य स्थल पर यदि केमिंग भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
24. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
25. श्रमिकों का समय-समय पर आकूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

26. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
28. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरस्त्राप के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
31. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
32. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
33. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संवहन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
34. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः

Handwritten signature

नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने या बतु निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

35. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
36. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री पैतराम नाग, मिनगाचल सैण्ड माईन
को खसरा क्रमांक 36, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर, ग्राम-मिनगाचल, तहसील-मैरमगढ़,
जिला-बीजापुर (छ.ग.) में मिनगाचल नदी से रेत उत्खनन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष
हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाधित नहीं आसके, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 3 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं तथा लीज के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन भी लिए जाएंगे। इसके अलावा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन भी किया जाएगा। के इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर ब्रेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 16 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टांपहेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल वहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उरी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन छकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले क्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इगली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,200 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा पहुंच मार्ग पर 600 नग पौधे किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 20	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Gadamali	

		Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
		Repairing toilets and running water facility for toilets	Rs. 0.50
		Total	Rs. 1.00

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि केंचिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्वेयेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा दिनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्साहान / निस्साह के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

- 27 पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
- 28 एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
- 29 परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन इत्यादि एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व विनियम अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
- 30 प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। छद्मान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
- 31 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
- 32 पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री बाबूलाल यादव (रामनगर ब्रिक्स अर्ध क्वारी)

को खसरा क्रमांक 1397, ग्राम-रामनगर, तहसील व जिला-सुरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1397, कुल लीज क्षेत्र 2.4 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) क्षमता - 4,905 घनमीटर (ईट निर्माण इकाई क्षमता 22,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 14 वर्ष (खदान की संभावित आयु) तक की अवधि हेतु वैध है। यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कतराटर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.4 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) क्षमता - 4,905 घनमीटर (ईट निर्माण इकाई क्षमता 22,00,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स विमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
4. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2.0 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाव में ली जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
5. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए अतितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. मू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय मू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने को पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
7. ईट उत्पादन हेतु फिक्स्ड विमनी आधारित ईट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईट भट्टे की विमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं विमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न

क्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुंय मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हों) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
9. ईट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फलाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईट भट्टों से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू-भरण हेतु उपयोग किया जाए।
10. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के परवत ढलने गड्ढों में पुनः भरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की लंबाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से यक्षारोपण किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग बॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
13. मिट्टी एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 12.4	2%	Rs. 0.24	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Ramsagar	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.45
			Total	Rs. 0.45

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 300 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित घट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। आवेदित स्थल के पूर्वी भाग के 500 वर्गमीटर क्षेत्र में लगभग 150 नग अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 पीछे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 700 पीछों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कटिदार तार के बाड़ अथवा ड्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
18. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियाँ एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
20. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
21. कार्य स्थल पर यदि कंभिन श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
22. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
23. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसूच्य वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
26. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्साव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
27. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
28. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
29. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग भी जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये वस्तुसूची एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में जी जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों,

परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री लल्लू सोनी, सेमरा सेण्ड माईन

को खतरा क्रमांक 207, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में से 2.13 हेक्टेयर, ग्राम-सेमरा, तहसील-ओड़गी, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में रेंड नदी से रेत उत्खनन क्षमता 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 2.13 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 21,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष गैर माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही उत्खनन प्रारंभ किया जाएगा।
5. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं तथा लीज के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में कम से कम 100 मीटर की दूरी तक के रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन भी लिए जाएंगे। इसके अलावा खनन लीज के बाहर / नदी तट (धोनी) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन भी किया जाएगा। के इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी गाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रैक्टी द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई को 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेन, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल रेत क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अविशुद्ध मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ठके हुए वाहन से किया जाए ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सौरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा 500 पौधे पहुँच मार्ग पर किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जी.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 20.1	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village-Thadpathar	

			Rain Water Harvesting System	Rs. 1.72
			Plantation work	Rs. 0.10
			Total	Rs. 1.82

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्यवार विस्तृत लागत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी विस्तृत निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेयजल यिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय-समय पर आवेयूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उत्सर्जन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परितंत्रकटनय अधिशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीनापार संचालन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने कायल निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/सहस्रीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के राष्ट्र, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.